

करने की क्षमता का अभाव अनुभव करते हैं। सामूहिक कार्य छात्रों को परस्पर मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है और मानसिक तनाव में कमी होकर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

4. परीक्षाफलों का विश्लेषण—निर्देशन सेवा के अन्तर्गत व्यक्ति अध्ययन सेवा छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों एवं सम्प्राप्ति सम्बन्धी आँकड़ों विभिन्न परीक्षाओं के प्रयोग द्वारा एकत्रित करती है। समूह में इन आँकड़ों को स्पष्ट किया जा सकता है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि समूह द्वारा विचारित समस्याओं के प्रकार को निश्चित करने वाली कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। इस प्रकार की अन्य समस्याओं, जैसे व्यक्तित्व का विकास या छात्र असन्तोष पर भी समूह में विचार किया जा सकता है।

जीविका सम्मेलन (CAREER CONFERENCE)

जीविका सम्मेलन एक अन्य साधन है जिसके द्वारा छात्रों को सामूहिक रूप में व्यावसायिक एवं शैक्षिक अवसरों के बारे में ज्ञान कराया जाता है। वैसे तो जीविकाओं के बारे में नवीनतम सूचनाएँ देने के लिये अनेक विधियाँ हो सकती हैं। किन्तु सामान्यतया प्रचलित रीति जीविका सम्मेलन की व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञों को छात्र के साथ वार्तालाप करने एवं व्यवसाय की छात्रों को जानकारी देने के लिये आमन्त्रित किया जाता है।

इस रीति के अन्तर्गत सर्वप्रथम छात्रों की रुचि के अनुसार एक सूची तैयार कर ली जाती है और रुचि के अनुसार छात्रों के समुदाय बना दिये जाते हैं। फिर एक अनुभवी व्यक्ति को सम्बन्धित समुदाय से वार्तालाप करने हेतु बुलाया जाता है जो छात्रों की उत्कण्ठा को विभिन्न उत्तरों द्वारा शान्त करता है।

इस प्रकार के जीविका सम्मेलनों का आयोजन कभी-कभी रात्रि को भी किया जा सकता है ताकि माता-पिता भी उसमें सम्मिलित होकर लाभान्वित हो सकें। कुछ विद्वान इन सम्मेलनों की सफलता को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। किन्तु यदि सावधानीपूर्वक इसकी योजना बनायी जाये, छात्रों को इसमें भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाये और सम्मेलन का ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाये तो इनकी सफलता पर सन्देह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जीविका सम्मेलन की योजना एवं क्रियान्वयन में निम्नलिखित रूपरेखा उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

1. **उद्देश्य**—जीविका सम्मेलन की योजना बनाने से पूर्व सम्मेलन द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य निर्धारित करने चाहिये—

2. **सामान्य प्रतिरूप (General Pattern)**—

(अ) **प्रति सप्ताह एक क्षेत्र में एक सम्मेलन**—इससे लाभ यह है कि एक छात्र को अनेक जीविकाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है।

(ब) **समन्वित सम्मेलन (Concentrated conference)**—इसमें दोष यह है कि छात्र अपनी रुचि के सभी सम्मेलनों में भाग नहीं ले पाता है और न समस्त विशेषज्ञों को एक समय आने का अवसर मिलता है।

3. **प्राथमिक प्रबन्ध (Preliminary Arrangement)**—

(अ) निर्देशन कर्मचारियों के साथ मिलकर योजना प्रारम्भ करना।

(ब) चुने गये छात्रों के समुदायों को सामान्य विचार समझना ताकि वे कार्यक्रम को बनाने में सहायता दे सकें।

(स) अध्यापकों के सुझाव आमन्त्रित करना तथा उनकी भी कमेटी बनाना।

(द) सम्मेलन कमेटी का चयन करना।

बाधाओं को दूर करने के उपाय

सामूहिक निर्देशन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उपर्युक्त सम्भावित बाधाओं पर विचार करना उपयुक्त रहता है। यहाँ पर उपर्युक्त समस्याओं या बाधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये जा रहे हैं जो परामर्शदाता के लिये लाभप्रद हो सकते हैं—

1. **उद्देश्यों का निर्धारण**—यदि आरम्भ में ही सामूहिक क्रियाओं के संगठन एवं उनकी तैयारी पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया जाये तो बहुत-सी बाधाएँ दूर की जा सकती हैं। सर्वप्रथम तो उन उद्देश्यों को निश्चित करना चाहिये जो इस कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। यह आवश्यक है कि इन उद्देश्यों को चाहे परामर्शदाता स्वयं निश्चित करे या दूसरों की सहायता से कार्य को पूरा करे। उत्तम यही रहता है कि अन्य लोगों का भी परामर्श प्राप्त करे क्योंकि इससे उनके चिन्तन का लाभ उठाया जा सकता है और साथ में यह विधि उन लोगों के कार्यक्रम में भाग लेने की प्रेरणा भी देती है। उद्देश्यों का निर्धारण अन्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करके, पत्र-व्यवहार द्वारा या विभागीय मीटिंग में किया जा सकता है।

2. **उद्देश्यों पर सुझाव आमंत्रित करना**—परामर्शदाता को समस्त उद्देश्यों की एक अन्तिम सूची तैयार करनी चाहिये और उसके बाद यह सूची अन्य सहयोगियों के समक्ष सुधार या परिवर्तन हेतु प्रस्तुत करनी चाहिये।

3. **छात्रों की समस्याओं का सर्वेक्षण**—सामूहिक निर्देशन आरम्भ करने से पूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करके छात्रों की प्रमुख समस्याओं का पता लगाना चाहिये। इसके बाद ही यह निर्णय करना चाहिये कि कौन-सी समस्याएँ सामूहिक विधि द्वारा हल की जा सकती हैं।

4. **अभिभावकों का सहयोग**—छात्रों के माता-पिता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास भी परामर्शदाता को करना चाहिये। उनकी प्रतिक्रिया का सुझाव ज्ञात करने के लिये उनके पास प्रश्नावली भेजी जाये। इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि अभिभावकों की दृष्टि में नवयुवकों की प्रधान समस्याएँ कौन-सी हैं। यह ज्ञान छात्रों की समस्याओं के प्रमुख क्षेत्र एवं उन समस्याओं से ग्रसित छात्रों को पहचानने में सहायक होगा।

5. **महाविद्यालयों का सहयोग**—उपर्युक्त कार्य में निकटवर्ती महाविद्यालयों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। कुछ प्रोफेसरों के विचार एवं सुझाव तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करनी चाहिये।

समूहों द्वारा विचारणीय समस्याओं के प्रकार

यहाँ यह विचार करना उपयुक्त होगा कि ऐसी समस्याएँ कौन-सी हैं जिन पर समूह में विचार करना लाभप्रद हो सकता है।

1. **व्यावसायिक समस्याएँ**—नवयुवकों को व्यावसायिक अवसरों की जानकारी कराने में सामूहिक प्रक्रिया अधिक सहायक हो सकती है। परामर्शदाता सम्पूर्ण समूह को व्यावसायिक अवसरों से सम्बन्धित सूचना प्रदान कर सकता है या समूह के सदस्यों द्वारा एकत्रित सूचना सभी सदस्यों को दी जा सकती है और सदस्यों के प्रश्नों या शंकाओं से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकते हैं।

2. **शैक्षिक समस्याएँ**—छात्रों की बहुत-सी समस्याएँ उनके शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित होती हैं। अतः समूह में कम समय में ही उनकी समस्याओं पर विचार किया जा सकता है तथा भविष्य के शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने में सहायता प्रदान की जा सकती है।

3. **सामाजिक समस्याएँ**—सामूहिक कार्य सभी सदस्यों को भाग लेने, परस्पर वार्तालाप करने एवं सामाजिक दक्षता के विकास के अवसर प्रदान करता है। सामान्यतया यह देखा गया है कि अनेक नवयुवक मानसिक तनाव, आत्मविश्वास का अभाव एवं अपने साथियों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित

सामूहिक निर्देशन में बाधाएँ (OBSTACLES IN GROUP GUIDANCE)

निःसन्देह यह सत्य है कि निर्देशन सेवा से सम्बन्धित अनेक कार्य सामूहिक क्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिये सूचनायें छात्रों को प्रदान करना या ऐसे अनुभव प्रदान करना जो उनके विद्यार्थी जीवन के लिये उपयोगी हो सकते हैं, सामूहिक क्रियाओं के द्वारा कम समय में तथा मितव्ययतापूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि सामूहिक क्रियाएँ प्रारम्भ करने का कोई पूर्व निर्धारित सूत्र नहीं है तो भी अध्यापक एवं निर्देशन कार्यकर्ताओं को इन आधारों के प्रति सावधान रहना चाहिये जो सामूहिक क्रियाओं को प्रारम्भ करने या पूरा करने में रुकावट डालें। सामूहिक क्रियाएँ आरम्भ करने में सम्भावित बाधाएँ निम्नांकित हो सकती हैं—

1. सामूहिक निर्देशन के रूप एवं रचना के बारे में अध्यापकों में असहमति—अध्यापकों एवं परामर्शदाताओं के मध्य असहमति सामूहिक निर्देशन को विद्यालय कार्यक्रम में स्थान देने की दृष्टि से हो सकती है।

2. समूह की रचना के बारे में विविध विचारधाराएँ—अध्यापक एवं निर्देशन कर्मचारी समूह की रचना के बारे में एकमत नहीं होते हैं। इसके साथ ही समूह में किन विषयों या समस्याओं पर वार्तालाप हो, यह विवादपूर्ण बना रहता है।

3. सामूहिक क्रियाओं के लिये कुशल नेतृत्व का अभाव—कोई भी कार्य-कुशल नेतृत्व के अभाव में सन्तोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाता है। सामूहिक क्रियाओं के संचालन के लिये दक्ष नेता की आवश्यकता की अवहेलना नहीं की जा सकती। क्योंकि समूह का नेता ही सदस्यों की प्रेरणा का स्रोत होता है तथा उन सभी का पथ-प्रदर्शन करता है। इस कार्य के लिये तो परामर्शदाता को योग्य होना चाहिये और प्रसन्नतापूर्वक इस उत्तरदायित्व को सँभालना चाहिये।

4. विद्यालय एवं समाज द्वारा समर्थन का अभाव—यह देखा गया है कि सामूहिक क्रियाओं के लिये विद्यालय के समस्त अध्यापकों का समर्थन एवं सहयोग अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। यह कार्य कुछ व्यक्तियों के उत्साह एवं दक्षता पर पूरा होना असम्भव है। इसके लिये तो सभी अध्यापकों को एकमत होना चाहिये। यह तो निर्विवाद सत्य है कि भारत में निर्देशन कार्य को समाज का आशातीत सहयोग भी नहीं प्राप्त हुआ। सामूहिक क्रियाओं के बारे में समाज को सूचित करने एवं उसका सहयोग प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये।

5. विद्यालय कार्यक्रम में से सामूहिक क्रियाओं के लिये समय प्राप्त करने की समस्या—विद्यालय के सीमित समय-चक्र में शिक्षण-कार्य के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं को समय देने की सदैव समस्या बनी रहती है। यदि सावधानीपूर्वक समय-चक्र न बनाया जाये तो कुछ क्रियाओं के छूटने की सम्भावना बनी रहती है, अतः प्रधानाध्यापक को समय-चक्र का निर्माण करने से पूर्व सभी क्रियाओं पर चिन्तन करके समय का उचित बँटवारा करना चाहिये।

6. आवश्यक सुविधाओं एवं सामग्री की प्राप्ति में कठिनाई—वैसे तो सामूहिक क्रियाओं के लिये बहुत कम सुविधाओं एवं सामग्री की आवश्यकता होती है, किन्तु फिर भी भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा राजनीतिक दृष्टि से एक उपेक्षित विषय रहा है, इन सामूहिक क्रियाओं के संचालन के लिये न्यूनतम सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई रहती है।

7. कक्षाओं में सामूहिक विधियों को प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण या आवश्यक निर्देशों का अभाव रहता है। शिक्षण-प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि सामूहिक विधियों का व्यावहारिक ज्ञान एवं अभ्यास प्रशिक्षार्थियों को करवाया जाये।